



## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

### **कार्यालय आदेश**

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3) के अनुरूप एवं अनुसूची 1/गा के ग्रुप डी-गा में संबंधित प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष पद (ग्रुप डी-गा) पे-वेण्ड 15600-39100 पी बी-3 ग्रेड पे 6600 में वर्ष 2015-16 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही में निम्नांकित अधिकारी के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16/17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण तत्समय इनका चयन किया जाकर निर्णय बन्द लिफाफे में रखा गया था।

इनके विरुद्ध विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही को प्रकरण को समाप्त किया गया है। अतः इस कार्यालय के आदेशांक : शिविरा/मा/संस्था/ बी-गा/डीपीसी/बन्द लिफाफा/प्र०३०-प्रधाना/१६-१७/ वो-२/ १८ दिनांक:-०३-१२-२०१९ के द्वारा चयनित किये जाने के फलस्वरूप, इनका पदोन्नति पर पदस्थापन इनके नाम के समुख अंकित कार्यालय/ विद्यालय-उमावि में प्रधानचार्य-उमावि एवं समकक्ष पद पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

क्रंस	वरिष्ठता क्रमांक	डीपीसी० चयन वर्ष	नाम	जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	जिला	पदोन्नति पर पदस्थापन
1	2188(95)/ 1995-96	2015-16	श्री महेन्द्र सिंह पोटलिया.एसडीआई	०५-०६-६१	एपीओ— कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर	बीकानेर	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, देताणी— बाडमेर

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक पर्याप्ति क्रमांक/ क-२/ ९५ दिनांक २०.०६.२००१ (३३/०१) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक ०१.०६.२००२ को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे। अतः संबंधित नियन्त्रण अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा कार्यमुक्ति से पूर्व इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगे कि इनके ०१.०६.२००२ को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से संतानों की कुल संख्या २ से अधिक नहीं हुई है। नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अंहता का मिलान कर पुष्टि करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण/ कार्यमुक्त नहीं करते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल absecsecedu@gmail.com पर तुरत सूचित करेंगे।

संबंधित प्रधानाचार्य नियत तिथि दिनांक:-०२.०१.२०२० तक पदोन्नति पदस्थापन के स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। लोकसेवक अगर पदोन्नति का परित्याग करना चाहे तो उसे अपने नियन्त्रण अधिकारी को नियत दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा अन्यथा उन्हे नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा। नियन्त्रण अधिकारी निर्धारित तिथि से एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे। कार्यभार ग्रहण करने/ पदोन्नति परित्याग की सूचना नियन्त्रण अधिकारी (संस्था प्रधान) द्वारा कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि के आगामी दिवस को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक/ ई-मेल सूचित करेंगे, संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण/ कार्यमुक्त के साथ ही इसका इन्द्राज शालादर्पण में आवश्यक रूप से करेंगे। इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रधान का ही होगा।

(हेमांशु गुप्ता) ४५/।।।  
आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर

दि० २५/१२/२०१९

**क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/बी-२/प्रधानाचार्य/डीपीसी बन्द लिफाफा/२०१८-१९**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

01. शासन सचिव-शिक्षा, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-२) / कार्मिक(क-५) विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. परियोजना निदेशक, राजस्थान राज्य स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा संकाल, जयपुर को निवेदन है कि उपरोक्त कार्मिक के सम्बन्ध में जारी उक्त आदेश अन्तर्गत किये गये पदस्थापन की कार्योत्तर स्थीकृति सक्षम स्तर से जारी कराने का श्रम करावें।
04. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमन्त्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

05. संयुक्त निदेशक—स्कूल शिक्षा,
06. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय—माध्यमिक
07. संबंधित संस्था प्रधान।
08. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के साथ उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दर्पण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति, तत्काल अनिवार्य रूप से करेंगे।
09. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/प्रभारी बी-3
10. सहायक निदेशक संस्थापन—सी को पाबन्द किया जाता है कि श्री पोटलिया वर्तमान में आदेशों की प्रतीक्षा में है अतः इनके पदोन्नति हेतु कार्यमुक्ति कार्यवाही से पूर्व उपरोक्त निर्देशित कार्यवाही अमल में लावें।
10. निजी एवं रक्षित पत्रावली



४ संयुक्त निदेशक (कार्मिक)